


189



न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017-18 निगरानी-5782/2018/हरदा/भू.प्र.

श्री S. P. Shukla Adv.
द्वारा आज दि. 22-9-18 को
प्रस्तुत। प्राथमिक तर्क हेतु
दिनांक 25-9-18 नियत।


राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर


श्रीमती शकुन्तला पत्नी राधेश्याम
पाराशर कृष्क ग्राम नांदवा, निवासी
नांदवा हाल निवास 36 अमरीक विहार
शिवपुरी रोड नंदनपुरा झॉसी द्वारा
मुख्त्यारआम विनीत पाराशर पुत्र
राधेश्याम पाराशर निवासी 36 अमरीक
विहार शिवपुरी रोड नंदनपुरा झॉसी

- निगरानीकर्ता

बनाम

1. सर्वसाधारण
2. सुधीर कुमार पारे पुत्र स्व श्री गुलाब
चंद पारे निवासी आधारताल जबलपुर
म.प्र. - अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध अधीनस्था न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील
रहटगांव जिला हरदा के द्वारा प्रकरण क्रमांक 23अ/6-2
वर्ष 2017-2018 में पारित आदेश दिनांक 24.7.2018


22-9-18

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-5782/2018/हरदा/भू.रा.

श्रीमती शकुन्तला विरुद्ध सर्वधारण व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह नायब तहसीलदार, तहसील रहटगांव, जिला-हरदा के प्र.क्र. 23अ/6-2/2017-2018 में पारित आदेश दिनांक 24-07-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-हरदा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 12/2/19</p>